

The Power and duties of officers/officials
(अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य)

जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्यों का विवरण।

शक्तियां	स्वरूप	पद का नाम
प्रदत्त शक्तियां (DOP) एवं विविध सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कार्यवाही संपादित करना	प्रशासकीय	प्रबन्ध निदेशक
		निदेशक (तकनीकी) संभागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा) मुख्य अभियन्ता(निगमित मामलें एवं मुख्यालय) मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पदार्थ प्रबन्धन/पीपीएम/ट्रैनिंग सैपटी एण्ड क्वालिटी कंट्रोल/एमएण्डपी एण्ड आईटी/सिविल)
		सचिव (प्रशासन) अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) उप सचिव (साप्रवि)
		मुख्य कार्मिक अधिकारी संयुक्त निदेशक कार्मिक उप निदेशक कार्मिक कार्मिक अधिकारी
		कम्पनी सचिव
	वित्तीय	निदेशक(वित्त) मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्य लेखाधिकारी वरिष्ठ लेखाधिकारी वृत्त लेखाधिकारी सहायक लेखाधिकारी
	अन्य	वृत्त अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त स्तर पर) अधिशाषी अभियन्ता (खण्ड स्तर पर) सहायक अभियन्ता (उपखण्ड स्तर पर) वृत्त कार्मिक अधिकारी सहायक भण्डार नियंत्रक सांख्यिकी अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक(सतर्कता)
कर्तव्य		निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित विभागीय नीतियों/ नियमों/ अनुदेशों की पालना। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विविध योजनाओं की क्रियान्विति। समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता एवं नियमित विद्युत आपूर्ति/राजस्व वसूली एवं उपभोक्ता की समस्याओं का समुचित निराकरण। अन्य प्राप्त निर्देशानुसार।